लोक सदन
गांधीवादी सिद्धांतों का संवाहक...
बिलासपुर / सरगुजा संभाग
https://epaper.dainikloksadan.com
कोरबा, बुधवार 11 नवंबर 2026
2

सुखरी भंडार जंगल में फिर मादा हाथी की मौत

- लगभग 5 से 6 दिन पूर्व हाथी के मौत होने का अनुमान
- डॉक्टरों की टीम पहुँची हैं मौके पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का होगा खुलासा

लोकसदन ➤➤ अंबिकापुर/डाँड़गांव।

सरगुजा जिले के वन परीक्षेत्र उदयपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत लक्षण गढ़ के आश्रित ग्राम सुखरी भंडार के गौठान के कुछ ही दूर कुसुवा मुंडा जंगल में लगभग 8 वर्षीय मादा हाथी के मृत पाए जाने से वन विभाग सहित पूरे विकास खंड में हड़कंप मच गया है।चुकी 1 अक्टूबर को अलका पूरी जंगल में एक छोटा हाथी का सावक करेंट लगाने से मृत पाया गया था आज दूसरी एक माह बाद मादा हाथी के मृत होने की जानकारी मिली है।डाँड़ गांव वन क्षेत्र से अभी कुछ दिनों से 17 हाथियों का दल भर्मण कर रहा था। आज ये हाथियों का दल तेंदू टिकरा चकेरी जंगल में घूम रहे हैं। वही वही 3 माह से उदयपुर ब्लाक के 12,हाथी 14 हाथी एवं 1 लोनर हाथी अलग अलग टीमों में ब्लाक के जगलो में घूम रहे थे तथा सैकड़ो किसानों के सैकड़ों एक धान सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुचाया गया है। वहीं दर्जनों मकानों को तोड़ा गया है। वर्तमान में पुन: नए दल 17 हाथियों का विचरण कर रहा है। जबकि कुछ हाथियों का दल कोरबा जिले की ओर लौट चुका है।वही वन विभाग का अंदाज है कि यह 17 सदस्यी हाथियों के दल में से मृत पाये गए हाथी हो सकता है।





प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार आपसी संघर्ष या नेचुरल मौत से हाथी की मौत हुई है अभी पोस्ट मॉडम हुआ है रिपोर्ट आने के बाद वास्तविक कारणों का पता चल जाएगा।

एलएन पटेल
डीएफओ सरगुजा

ग्रामीणों के सूचना के बाद वन विभाग को पता चला

वन विभाग की टीम लगातार 17 हाथियों पर नजर बनाई हुई थी।इसी बीच लगभग एक सप्ताह पूर्व मृत मादा हाथी की मौत होने से जंगल में काफी बदबू आ रहा था जंगल आने जाने वाले ग्रामीणों ने मौके पर देख कर वन विभाग के अधिकारियों को तत्काल सूचना दी सूचना पर वन मंडला अधिकारी लोक नाथ पटेल,एसडीओ सपना मुखर्जी, फेकु चौबे रेंजर, यादलाल पैकरा वन पाल सहित पूरा दल बल मौके पर पहुचा हुआ है।डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करने के बाद वास्तविक रिपोर्ट का पता चलेगा।फिर हाल मदा हाथी के मौत से हड़कंप मचा हुआ है।

सुबह ग्रामीणों के द्वारा मृत हाथी पाए जाने की सूचना विभाग को मिली थी हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचे हैं वेटनरी डाक्टरों को बुलाया गया है पोस्ट मॉडम रिपोर्ट के बाद मौत का वास्तविक कारण पता चलेगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लोनर हाथी या 17 हाथियों में से कोई एक सदस्य है विभाग द्वारा हाथियों पर पुरी निगरानी रखा जाता है। रात में नज़र रखने के लिए नाइट विजन ड्रोन कैमरे का उपयोग स्टाफ द्वारा किया जाता है। उम्मीद है कि दो दिन पूर्व हाथी की मौत हुई है।

सपना मुखर्जी
एसडीओ वन विभाग
उदयपुर

शासकीय जमीन फर्जीवाड़े में आजाद गिरफ्तार

लोकसदन ➤➤ अंबिकापुर।

शासकीय भूमि को निजी बताकर राजस्व अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टि करने के मामले में कमलेश्वरपुर पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आरोपी आजाद इराकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के मस्जिदपारा का निवासी है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया है।



पुलिस के अनुसार, प्रार्थी उमेश्वर सिंह बाज ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अधिकार अभिलेख में कूटरचना कर उसे निजी भूमि दर्शाया गया है। जबकि जांच में यह भूमि बंदोबस्त वर्ष 1995-96 में भी शासकीय भूमि के रूप में 'छोटे झाड़ के जंगल' मद में दर्ज पाई गई। मामले में तुलेश्वर गुप्ता, आजाद इराकी सहित अन्य की संलिप्तता सामने आने पर थाना कमलेश्वरपुर में अपराध क्रमांक 82/2026 के तहत धोखाधड़ी एवं कूटरचना की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस पूर्व में आरोपी तुलेश्वर गुप्ता को गिरफ्तार कर चुकी है। विवेचना के दौरान तकनीकी जानकारी और मुखबिर की सूचना पर आजाद इराकी को पकड़कर पूछताछ की गई। संलिप्तता पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।

कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मीनारायण साव, सहायक उप निरीक्षक ललन गुप्ता सहित कमलेश्वरपुर थाना एवं साइबर सेल अंबिकापुर की टीम सक्रिय रही।

नए सीएसपी विशाल ने किया पदभार ग्रहण

लोकसदन ➤➤ सूरजपुर।

सूरजपुर के नए सीएसपी विशाल गर्ग ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। 03 नवम्बर 2026 को पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेश कुमार पटेल (भापुसे) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन से मुलाकात कर श्री गर्ग ने कार्यभार ग्रहण किया। सीएसपी विशाल गर्ग वर्ष 2022 बैच के राज्य पुलिस अधिकारी है वे इसके पूर्व उप पुलिस अधीक्षक, विशेष आसूचना शाखा जिला बीजापुर में पदस्थ रहे।



धान खरीदी के लिए टोकन जारी होना शुरू, 15 से उपार्जन केंद्रों में होगी समर्थन मूल्य पर खरीदी

लोकसदन ➤➤ सूरजपुर।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में धान खरीदी को सुचारू, व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि खरीदी प्रारंभ होने के साथ ही किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जिले में इस वर्ष धान विक्रय के लिए कुल 68531 किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीकृत किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 नवंबर से धान विक्रय के लिए टोकन जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। टोकन जारी होने के पहले दिन आज कुल 64 किसानों को टोकन जारी किया गया। टोकन व्यवस्था के माध्यम से किसानों को निर्धारित तिथि पर अपनी उपज उपार्जन केंद्रों में लाने की सुविधा मिलेगी, जिससे केंद्रों में धान की आवक व्यवस्थित रहेगी और अनावश्यक भीड़ से बचा जा सकेगा।

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देशन में संबंधित विभागों एवं समितियों द्वारा उपार्जन केंद्रों में व्यवस्थाओं की तैयारी की जा रही है। केंद्रों में धान की आवक, तौल, भंडारण एवं परिवहन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक इंतजाम किया जा रहा हैं। किसानों के लिए छाया, पेयजल, बैठने की व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों का सत्यापन, बारदाने की उपलब्धता, नमी मापक यंत्र, कंप्यूटर एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित खरीदी से संबंधित आवश्यक उपकरणों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही उपार्जित धान के सुरक्षित भंडारण के लिए चबूतरा, कैप कव्हर एवं अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है।

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने खरीदी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों के पंजीयन, टोकन व्यवस्था और खरीदी से संबंधित प्रक्रियाओं को सुचारू बनाए रखने के साथ ही सभी उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने को कहा है। धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने तथा किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं।

15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जारी हैं। प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज विक्रय करने के लिए सहज और सुविधाजनक वातावरण मिले तथा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य पारदर्शिता एवं सुचारू व्यवस्था के साथ संपन्न हो।

थानों में जब्त किये गये मादक पदार्थो को 23 को किया जाएगा नष्ट

लोकसदन ➤➤ कोरबा।

पुलिस अधीक्षक के अन्तर्गत आने वाले थानों में जब्त किये गये मादक पदार्थ के नष्टीकरण हेतु जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति गठित की गई है। एनडीपीएस के प्रकरणों में नष्टीकरण हेतु समस्त कार्यवाही पूर्ण कर थाना के द्वारा नष्टीकरण योग्य प्रकरणों की सूची तथा मूल प्रपत्र समिति को प्रस्तुत की गई है। जिसके अन्तर्गत नष्टीकरण योग्य 29 प्रकरणों में जप्त मादक पदार्थ शामिल है।

धान खरीदी में सुगमता के लिए शुरू हुआ 'तुहर टोकन मोबाइल एप'

लोकसदन ➤➤ कोरबा।

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों को धान विक्रय के लिए सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 'तुहर टोकन मोबाइल एप' प्रारंभ किया है। एप के माध्यम से किसान घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इससे समितियों में टोकन के लिए लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी।

एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। कोरबा जिले में एप के माध्यम से पहले दिन कुल 53.60 क्विंटल धान विक्रय के लिए टोकन जारी हुए। इसमें छूरी समिति में 12 क्विंटल और श्यांग समिति में 41.60 क्विंटल धान के टोकन शामिल हैं।

जिले के सभी 73 उपार्जन केंद्रों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं, सभी 60 समितियों में स्थानीय स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है। जिला कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित कर अपर कलेक्टर को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। दूसरे जिलों से धान की आवक रोकने के लिए 9 चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, एक जिला स्तरीय और 12 तहसील स्तरीय फ्लाइंग स्क्वॉड गठित किए गए हैं।

मांदर की थाप पर थिरके कदम, करमा महोत्सव में दिखी जनजातीय संस्कृति की अनुपम छटा



- विकासखंड स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले लोकनृत्य दल जिला स्तरीय महोत्सव में देंगे प्रस्तुति

लोकसदन ➤➤ सूरजपुर।

जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक लोककला एवं लोकसंस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के मार्गदर्शन में विकासखंडस्तरीय करमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के प्रतापपुर एवं सूरजपुर, भैयाथान विकासखंड में विकासखंड स्तरीय करमा महोत्सव का आयोजन उत्साह एवं उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जनजातीय समाज के सदस्यों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता निभाई।

महोत्सव में जनजातीय संस्कृति की अनुपम छटा देखने को मिली। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने मांदर की थाप पर करमा नृत्य और लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। लोकधुनों की मधुर लय एवं कलाकारों के उत्साहपूर्ण प्रदर्शन ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया। उपस्थित दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।

करमा पर्व जनजातीय समाज की आस्था, प्रकृति के प्रति सम्मान, सामुदायिक एकता एवं पारंपरिक जीवनशैली का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों से जहां नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों, रीति-रिवाजों एवं पूर्वजों की समृद्ध विरासत से जुड़ने का अवसर मिलता है, साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच भी उपलब्ध होता है। महोत्सव के माध्यम से जनजातीय लोककला एवं परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का संदेश दिया गया।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार जनजातीय समाज के पारंपरिक लोकनृत्य एवं लोकगीतों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र जनजातीय लोकनृत्य महोत्सव (करमा महोत्सव) 2026 का आयोजन ग्राम पंचायत, विकासखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर किया जा रहा है। जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के मार्गदर्शन में जिले में महोत्सव के सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गयी हैं।

विकासखंड स्तरीय महोत्सव में प्रदर्शन के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले जनजातीय लोकनृत्य दलों को जिला स्तरीय करमा महोत्सव में अपनी कला एवं प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। जिला स्तर पर चयनित उत्कृष्ट लोकनृत्य दलों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा साथ विजेता प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

पताः पावर हाऊस रोड कोरबा (एस.ई.रेलवे), जिला- कोरबा (छ.ग.)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बंधक रखी गई अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचनाः

आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं) एवं जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया" के पास बंधक रखी गई है, जिसका भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा (संपत्ति के सामने विशेष रूप से उल्लिखित) सुरक्षित ऋणदाता द्वारा बंधक समझौते के तहत लिया गया है, नीलामी के लिए रखी जाएगी तथा इसे नीचे उल्लिखित **"जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" तथा "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि ऋणी(ओं) एवं जमानतदार(ओं) से सुरक्षित ऋणदाता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देय राशि की वसूली की जा सके। संबंधित सम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि नीचे उल्लिखित है।

स. क्र.	उधारकर्ताओं/ शाखा का नाम	संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण और संपत्ति के मालिक / कब्जा का प्रकार	मांग सूचना की तिथि / बकाया राशि / कब्जा सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य / धरोहर जमा राशि / बोली वृद्धि राशि	शाखा नाम/ सम्पर्क व्यक्ति एवं सम्पर्क नंबर
01	1) **श्रीमती मधु अग्रवाल (प्रोपराईटर मेसर्स मधु इंटरप्राइजेस) पति ओम प्रकाश अग्रवाल**, मेन रोड, नैला, वार्ड नं. 05, नैला, जांजगीर, पिन- 495668 छत्तीसगढ़ 2) **मेसर्स मधु इंटरप्राइजेस, प्रोपराईटर- श्रीमती मधु अग्रवाल पति श्री ओम प्रकाश अग्रवाल**, खसरा नं. **1624/2**, ग्राम- तिलई, तहसील- अकलतरा, जांजगीर, पिन-495668, 3) **राहुल अग्रवाल पुत्र ओम प्रकाश अग्रवाल**, वार्ड नं. 05, मेन रोड, नैला, जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़, पिन- 495668	**श्री राहुल अग्रवाल** के नाम पर एवं **मेसर्स मधु इंटरप्राइजेस** को लीज पर दिया गया खसरा नं. **1624/2** ग्राम- तिलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.- नरियरा, तहसील- अकलतरा, जिला- जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़, पिन- 495668, कुल क्षेत्रफल **0.109** हेक्टेयर में स्थित अचल संपत्ति भूमि, भवन, सुपर स्ट्रक्चर, आम रास्ते और बैंक की सुरक्षित संपत्ति सहित भूमि एवं भवन के समस्त भाग व अंश। **लीज डीड के अनुसार इसकी चौहद्दीः उत्तर-** राहुल अग्रवाल की जमीन, **दक्षिण-** रोड (तिलाई से घनवा), **पूर्व-** देव प्रसाद की जमीन, **पश्चिम-** सरकारी जमीन। **सांकेतिक - कोई SA नहीं**	27/04/2026 ₹ 86,69,275.85 + उस पर ब्याज व अन्य व्यय 24/07/2026	₹ 78,74,200/- ₹ 7,87,420/- ₹ 1,00,000/-	कोरबा श्री अभिषेक कुमार मो. 6260762262
02	**मेसर्स ओम ऐश ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स, प्रोपराइटर श्रीमती मोनिका अग्रवाल**, 1624/1, ग्राम- तिलई, तहसील अकलतरा, जांजगीर, जिला- जांजगीर-चांपा, छ.ग. पिन- 495668 एवं **राहुल अग्रवाल पुत्र ओम प्रकाश अग्रवाल (गारंटर)**, वार्ड नं. 05, मेन रोड नैला, जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग., पिन- 495668	**श्री राहुल अग्रवाल** के नाम पर **मेसर्स ओम ऐश ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स (प्रोप्राइटर - श्रीमती मोनिका अग्रवाल)** को लीज पर दिया खसरा नं. **1624/1** ग्राम- तिलाई, प.ह.नं. 27, रा.नि.मं.- नरियरा, तहसील- अकलतरा, जिला- जांजगीर-चांपा, छ.ग., पिन- 495668, कुल क्षेत्रफल **0.105** हेक्टेयर में स्थित अचल संपत्ति भूमि, भवन, सुपर स्ट्रक्चर, आम रास्ते और बैंक की सुरक्षित संपत्ति सहित भूमि एवं भवन के समस्त भाग व अंश। **लीज डीड के अनुसार इसकी चौहद्दीः उत्तर-** दुखिन बाई की जमीन, **दक्षिण-** तिलाई-घनवा रोड, **पूर्व-** लीज देने वाले की जमीन (खसरा नं. 1624/2), **पश्चिम-** सरकारी जमीन. **सांकेतिक - कोई SA नहीं**	02/05/2026 ₹ 1,21,73,949.90 + उस पर ब्याज व अन्य व्यय 24/07/2026	₹ 22,63,450/- ₹ 2,26,345/- ₹ 1,00,000/-	
03	**श्री ओमप्रकाश अग्रवाल**, वार्ड नं. 05, मेन रोड, नैला, जांजगीर, जिला- जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़, पिन 495668	**श्री ओम प्रकाश अग्रवाल** के नाम पर खसरा नं. **1073/64** (खसरा नं. **1073/17** का एक भाग) जो ग्राम नैला, प.ह.नं. 07, रा.नि.मं.- जांजगीर, तहसील- जांजगीर, जिला- जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़, पिन- 495668, क्षेत्रफल **0.018** हेक्टेयर में स्थित व समस्त भूखंड एवं संपत्ति,सुपर स्ट्रक्चर, साझा रास्ते एवं बैंक की सुरक्षित संपत्ति शामिल है। पंजीकृत बंधक विलेख के अनुसार इसकी निम्नलिखित **चौहद्दीः उत्तर-** सड़क, **दक्षिण-** राम अवतार गोयल की भूमि, **पूर्व-** संतोष अग्रवाल की भूमि व **पश्चिम-** किशन अग्रवाल का मकान। **सांकेतिक - कोई SA नहीं**	02/05/2026 ₹ 1,01,24,505.49 + उस पर ब्याज व अन्य व्यय 24/07/2026	₹ 65,27,500/- ₹ 6,52,750/- ₹ 1,00,000/-	
04	**इंदर यादव पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण यादव, प्रोपराईटर- मेसर्स माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स**, बम्बलेश्वरी पेट्रोल पंप के पास, अकलतरा रोड, जांजगीर, जिलाः जांजगीर चांपा 495668, छत्तीसगढ़।	प्लॉट नं. **3336/5**, मौजा- जांजगीर, प.ह.नं. 10, अकलतरा रोड, संत रविदास वार्ड, वार्ड नं. 10, आरएनएम एवं तहसील- जांजगीर, जिला- जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल- **1090** वर्ग फीट में स्थित भूमि एवं भवन। **चौहद्दीः उत्तर-** जांजगीर-अकलतरा रोड, **दक्षिण-** रोड, **पूर्व-** विष्णु की जमीन, **पश्चिम-** ब्यास नारायण यादव का मकान। **सांकेतिक - कोई SA नहीं**	24/04/2025 ₹ 78,49,457.65 + उस पर ब्याज व अन्य व्यय 26/06/2025	₹ 47,33,350/- ₹ 4,73,335/- ₹ 1,00,000/-	
05	**मेसर्स मां ट्रेडर्स एण्ड सीनेटरी, प्रोपराइटर- श्री दीपक यादव एवं श्री पंकज कुमार (गारंटर)**, वार्ड नं. 16, मेन रोड, नेताजी चौक के पास, जांजगीर जिलाः जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, पिन-495668	**श्री पंकज यादव** के नाम पर खसरा नं.**3808/10**, प.ह.नं. 10, वार्ड नं. 16, नेताजी चौक, तहसील- जांजगीर, जिला- जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़, पिन- 495668, क्षेत्रफल- **1090** वर्ग फीट पर स्थित जमीन एवं तीन मंजिला भवन। **चौहद्दीः- विलेख के अनुसारः उत्तर-** विष्णु बाई की जमीन/मकान, **दक्षिण-** लक्ष्मीनारायण यादव का मकान, **पूर्व-** विष्णु बाई का मकान, **पश्चिम-** मेन रोड (नेताजी चौक से कचहरी चौक)। **सांकेतिक - कोई SA नहीं**	26/06/2025 ₹ 51,74,191.00 + उस पर ब्याज व अन्य व्यय 09/12/2025	₹ 72,59,500/- ₹ 7,25,950/- ₹ 1,00,000/-	

निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
25/11/2026 दोपहर 02:00 बजे से 4:00 बजे के बीच	27/11/2026, दोपहर 3:00 बजे तक।	27/11/2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक

ई-नीलामी "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ है आधार" पर आयोजित की जा रही है।

1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी में रखी गई संपत्ति के शीर्षक और दावों/ अधिकारों/ बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।

2. बोलीदाताओं को निम्नलिखित औपचारिकताएं पहले ही पूरी करनी होंगीः **चरण 1-** बोलीदाता/ क्रेता पंजीकरणः बोलीदाता को अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी पोर्टल **https://www.baanknet.com** पर पंजीकरण करना होगा। **चरण 2-** केवाईसी सत्यापनः बोलीदाता को अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (इसमें दो कार्य दिवस लग सकते हैं)। **चरण 3 -** ईएमडी राशि का उसके ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरणः ई-नीलामी पोर्टल पर उत्पन्न चालान का उपयोग करके एनईएफटी/ ट्रांसफर का उपयोग करके फंड का ऑनलाइन/ ऑफ-लाइन हस्तांतरण। **चरण 1 से चरण 3** बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी तिथि से पहले काफी पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। पते के प्रमाण की प्रति, जिसके बिना बोली अस्वीकृत जा सकती है।

3. ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया अपनी बोलियां जमा करने और इसमें भाग लेने से पहले **https://www.baanknet.com** और सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी **www.centralbankofindia.co.in** देखें।

सफल बोली लगाने वाले को बोली की रकम का **25%** (**EMD** काटकर) सफल बोली लगाने वाले के ऐलान के अगले दिन और बाकी **75%** 15 दिनों के अंदर सेल इंटिमेशन लेटर में बताए गए अकाउंट में जमा करना होगा (जो उसे जारी किया जाएगा)। अगर वह सेल इंटिमेशन लेटर में बताई गई रकम जमा नहीं कर पाता है, तो पहले से जमा की गई रकम जब्त कर ली जाएगी और प्रॉपर्टी का नया ऑक्शन किया जाएगा। बोली लगाने वाले अपने ऑफिस/अपनी पसंद की जगहों से कोटेशन/बोली लगाकर ई-नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। हर बोली लगाने वाले को खुद इंटरनेट कनेक्टिविटी पक्की करनी होगी। बैंक/सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क की दिक्कतों, सिस्टम क्रैश होने, बिजली जाने वगैरह के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री

उधारकर्ताओं/गारंटरों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की ई-नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत की वसूली की जाएगी।

दिनांक : 10.11.2026 स्थानः कोरबा (छ.ग.) प्राधिकृत अधिकारी / सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया